न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –403/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2022/518

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
गिरधारीराम पूनिया पुत्र लिछमाराम जाति जाट निवासी इन्दास, तहसील व जिला नागौर, राज0।		तहसीलदार नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री भागीरथ चौधरी।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 04-04-2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 361/2022 सरकार बनाम गिरधारीराम में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 21.12.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील ताबेउज़ मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का मानासर ने अपीलांट के विरूद्व खसरा नं. 25 रकबा 0.1538 हैक्टेयर किस्म गेर मुमकिन रास्ता वाके इन्दास पर तारबंदी बनाकर संवत 2079 में अतिक्रमण करने संबंधी रिपोर्ट पेश की गयी। जिस पर न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नागौर के यहां मुकदमा दर्ज किया जाकर अपीलांट/गेर सायल को नोटिस जारी करना बताकर दुसरी पेशी दिनांक 7.11.2022 को बिना किसी न्यायालय आदेश के नोटिस को चस्पा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की तामिल मानते हुऐ व अपीलांट को बार बार आवाजे लगाने व उपस्थित नहीं होने के तथ्य दर्ज करते हुऐ उसी दिन अपीलांट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उसी दिन निर्णय पारित करते हुऐ अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुऐ व शास्ति अधिरोपित करते हुऐ निर्णय पारित कर दिया जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी व हाल ही में दिनांक 14.12.2022 को पटवारी हल्का, आर.आई. हल्का व तहसीलदार नागौर ने अपीलांट को उक्त निर्णय की आड में उसकी खातेदारी की भूमि से बेदखल करने की धमकियां दी व अपीलांट के विरूद्व दिनांक 7.11.2022 को ही फैसला होने बाबत बताया। जिस पर अपीलांट ने जानकारी करवाई व नकलो का आवेदन पेश करने पर दिनांक 15.12.2022 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर सर्वप्रथम कथित एकतरफा विधि विरूद्व निर्णय की जानकारी हुई। जिससे अन्दर मियाद यह अपील पेश की है, का कथन करते हुए वकील प्रार्थी/अपीलान्ट उपरोक्त परिस्थितियो में देरी माफ कर अपील तारीख जानकारी से अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/अपीलान्ट ने मयाद प्रार्थना पत्र में अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में किये गये कथनों के समर्थन में स्वंय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का मानासर ने अपीलांट के विरूद्व खसरा नं. 25 रकबा 0.1538 हैक्टेयर किस्म गेर मुमकिन रास्ता वाके इन्दास पर तारबंदी बनाकर संवत 2079 में अतिक्रमण करने

कलक्टर नागौर

संबंधी रिपोर्ट पेश की गयी। जिस पर न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नागौर के यहां मुकदमा दर्ज किया जाकर अपीलांट/गेर सायल को नोटिस जारी करना बताकर दुसरी पेशी दिनांक 7.11.2022 को बिना किसी न्यायालय आदेश के नोटिस को चस्पा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की तामिल मानते हुऐ व अपीलांट को बार बार आवाजे लगाने व उपस्थित नहीं होने के तथ्य दर्ज करते हुऐ उसी दिन अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उसी दिन निर्णय पारित करते हुऐ अपीलांट को अतिकमी घोषित करते हुऐ व शास्ति अधिरोपित करते हुऐ निर्णय पारित कर दिया जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी व हाल ही में दिनांक 14.12.2022 को पटवारी हल्का, आर.आई. हल्का व तहसीलदार नागौर ने अपीलांट को उक्त निर्णय की आड़ में उसकी खातेदारी की भूमि से बेदखल करने की धमकियां दी व अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 7.11.2022 को ही फैसला होने बाबत बताया। जिस पर उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अधिनस्थ न्यायालय का आदेश/ निर्णय जैर अपील कतई गलत विधि विरूद्ध व न्याय के सामान्य सिद्वांतो के विपरीत अपीलांट की पीठ पिछे पारित किया होने से विधि सम्मत नहीं है, निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट को उक्त प्रकरण का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ न अपीलांट के निवास पर कोई नोटिस चस्पा किया न ही चस्पानगी का कोई आदेश पत्रावली में है येन केन प्रकारेण अपीलांट से अदावत रखने वाले का बजरंग सांगवा निवासी भवाद हाल जिला उद्योग अधिकारी नागौर के दबाव व प्रभाव के कारण सारी एकतरफा विधि विरूद्ध कार्यवाही अपीलांट के विरूद्ध की जाकर अपीलांट को जवाबदेही, साक्ष्य व सुनवाई से वंचित रखते हुऐ उसकी पीठ पिछे एकतरफा में आदेश/निर्णय जैर अपील पारित करवाया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट के कब्जासुद खातेदारी का खेत हाल खसरा नं. 28 वर्तमान रकबा 6.2321 हैक्टेयर वाके मौजा इन्दास तहसील नागौर स्थित रहता चला आया है उक्त खेत अपीलांट का पुश्तेनी खेत है जो पहले अपीलांट के दादा गडुकाराम पुत्र रेखाराम के कब्जे काश्त खातेदारी का था। उक्त खेत खसरा नं. 28 में सेटलमेंट से पूर्व एक पश्चिम से होता हुआ आगे पूर्व की तरफ खसरा नं. 24 से लगायत 18 तक व खसरा नं. 28 के बीच में रास्ता नहीं था व आगे उतर की तरफ उक्त रास्ता खसरा नं. 28 में न होकर पडौसी खसरा नं. 8 में से होकर आगे खसरा नं. 7 में प्रवेश करता हुआ स्थित था। उक्त रास्ता आज दिन भी मौके पर कदीमी रास्ता जो खसरा नं. 28 व उसके पूर्वी तरफ स्थित खसरा नं. 24, 22, 21, 20,19,18 के बीच में से होकर आगे खसरा नं. 8 के बने नये खसरा नम्बर में से होकर खसरा नं. 7 में प्रवेश करता है लेकिन सेटलमेंट कर्मचारियों ने बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के अपीलांट के खेत का रकबा कम करते हुऐ नया रास्ता दर्ज कर दिया। अपीलांट के दादा स्व. गडुकाराम ने उस समय उक्त रास्ता बाबत हुई गलत इन्द्राजी की दुरूस्ती हेतु एक आवेदन न्यायालय एस.एस.ओ. एंव ए.आर.ओ. में पेश कर कथन किया था कि उक्त रास्ता खसरा नं. 28 की उतरी सीमा में जो दर्शाया है वह मौके पर नहीं चलता है एवं न ही आगे कोई कटाणी रास्ता से मिलता है उक्त रास्ता मौके पर खसरा नं. 8 में विधमान है एवं खसरा नं. 28 में पुराने नक्शा में कोई रास्ता नहीं था इसलिए खसरा नं. 28 की उतरी सीमा में जो रास्ता जिसके खसरा नं. 25 दर्शाया है उसकी दुरूस्ती कर उक्त रास्ता को खसरा नं. 8 में दर्शाया जावे व वादी की भूमि जो रास्ता के रूप में दर्ज की जाकर वादी की खातेदारी में से कम की है उसे पुनः वादी की खातेदारी में दर्ज की जावे, जिस पर गांव के मुखियान व तत्कालीन सरपंच की समझाईश व सहमति से अपीलांट के दादा व खसरा नं. 8 के खातेदार के मध्य राजीनामा तय हुआ व उक्त राजीनामा न्यायालय में लिखित में पेश होकर तस्दीक होकर उसके आधार पर निर्णय हुआ व अपीलांट की खातेदारी के खेत खसरा नं. 28 के उतरी तरफ जो रास्ता दर्शाया गया था उस रास्ता को खसरा नं. 8 में दर्शा कर रेकर्ड को दुरूस्त करने का आदेश पारित हुआ था व खसरा नं. 28 में जो रास्ता सेटलमेंट वालो ने विधि विरूद्ध दर्शाया था उसको खारिज करने का भी आदेश हुआ था। तत्पश्चात अपीलांट के दादा आश्वस्त हो गये कि आदेश अनुसार नक्शा व रेकर्ड में दुरूस्ती हो चुकी है क्योकि मौके पर उक्त सात बीघा सहित सम्पूर्ण रकबा पर उनका कब्जा काश्त था। लेकिन उक्त रेकर्ड

कलक्टर नागौर

दुरूस्ती के आदेश की कालान्तर में पालना नहीं हो सकी व रेकर्ड में गलत इन्द्राजी यथावत रहती चली आई, जिसकी जानकारी अपीलांट को पहले कभी नहीं हो सकी व अपीलांट के खेत के चिपता उतरी तरफ मूल खसरा नं. 8 के वर्तमान में अलग अलग खसरा नम्बर दर्ज हो गये जिनमें से खसरा नं. 495/8 अन्य खातेदारो की खातेदारी में दर्ज है व खसरा नं. 409/8 राजकीय भूमि दर्ज है व खसरा नं. 903/8 अन्य की खातेदारी में दर्ज है। वर्तमान में खसरा नं. 409/8 की तरफ चारदीवारी का कार्य चल रहा है व दीगर खसरान के खातेदारों ने अपीलांट के खेत खसरा नं. 28 में से नक्शा में गलत तरमीम के कारण जबरदस्ती रास्ता कायम करने की कोशिश की वर्तमान में चल रहे मूल खसरा नं. 8 की दक्षिणी सींव पर रास्ता को कांटे व छरड़िया डाल कर बंद करने की कोशिश की तब अपीलांट ने निवेदन किया कि वर्तमान में उक्त रास्ता मूल खसरा नं. 8 के बने नये खसरा नं. 495/8, 409/8, 903/8 की दक्षिणी सींव के सहारे सहारे होकर चलता है उक्त रास्ता खसरा नं. 7 में आवागमन तक विधमान रहता चला आया है जो वर्तमान में आवागमन के रूप में काम आ रहा है तब उन्होने बताया कि राजस्व रेकर्ड में उक्त रास्ता अभी भी आपके खेत में ही दर्शाया हुआ होने से आपके खेत में ही रास्ता कायम करेगे। तब अपीलांट ने आनन फानन में राजस्व रेकर्ड आदि की नकले प्राप्त की तो जानकारी हुई कि यह रास्ता अपीलांट के खेत के नक्शा में गलत रूप से अभी तक दर्शाया हुआ है जबकि पूर्व में न्यायालय द्वारा उक्त गलत इन्द्राजी को दुरुस्त करने का आदेश भी हुआ था लेकिन उसकी पालना नहीं होने से व लम्बा समय व्यतीत हो जाने व अपीलांट के दादा व पूर्व में हुऐ राजीनामा में दर्ज पक्षकारो का देहान्त हो जाने व वर्तमान में अपीलांट खातेदार होने से पूर्व के आदेश की पालना होना संभव नहीं होने से व अपीलांट के विधिक अधिकार संकटमय हो जाने के कारण अपीलांट को न्यायालय सहायक कलक्टर एस.डी.ओ. नागौर के यहां दावा रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पेश करना आवश्यक हुआ व अपीलांट की खातेदारी की भूमि में जबरदस्ती गलत बने रेकर्ड की आड़ में रास्ता कायम नहीं करने व बेदखल नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पेश किया जो राजस्व प्रकरण संख्या 81/2022 दर्ज होकर उसमें स्थगन आदेश भी पारित हुआ है जो आज दिन प्रभावी है जिसमें तहसीलदार नागौर भी पक्षकार है व तहसीलदार नागौर को सारे तथ्यो की भलीभांति जानकारी होने के बावजूद अपीलांट को बिना सुने आदेश पारित कर दिया व अपीलांट द्वारा दिनांक 14.12.2022 को तहसीलदार वगैरा को स्थगन आदेश की प्रति बताने के बावजूद बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी व उक्त बजरंग लाल सांगवा के दबाव व प्रभाव में आकर विधि विरूद्व निर्णय की आड़ में अपीलांट को बेदखल करने की तैयारी की जा रही है उपरोक्त परिस्थितियो में आदेश/निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

इस प्रकार तहसीलदार के निर्णय में बताये स्थान पर न तो कभी रास्ता रहा न आज दिन है न हो सकता है मात्र सेटलमेंट की गलती से रेकर्ड में गलत तरमीम का नाजायज फायदा उठाया जाकर मिथ्या कार्यवाही की जा रही है जबकि सेटलमेंट वालो को ऐसी गलत तरमीम करने का कोई अधिकार भी नहीं था व उनका उक्त आदेश निरस्त भी किया जा चुका था मात्र पालना नहीं हो सकी है उक्त आदेश आज दिन भी प्रभावी है व उक्त आदेश के आधार पर न तो वर्तमान में अपीलांट के खेत में कोई रास्ता है न कभी रहा, मात्र आदेश की पालना नहीं होने से मिथ्या कार्यवाही गलत तरमीम की आड़ में की जा रही है ऐसी स्थिति में अपीलांट के विधि अधिकारो पर कुठाराघात हो रहा है जिससे निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्यहै।

अधिनस्थ तहसीलदार नागौर ने सारे तथ्यो की जानकारी होते हुऐ भी जानबूझ कर अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य सुनवाई से वंचित रखने हेतु दो पेशीयो में ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखली का आदेश पारित कर दिया है व अपीलांट को अब उसकी कब्जासुद खातेदारी की भूमि से बेदखल करना चाहते है जो कतई विधि सम्मत नहीं है जिससे भी निर्णय जैर अल अपास्त/ निरस्त किये जाने योग्य है।

इस प्रकार अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है कथित जो रास्ता बताया है वहां पर कोई रास्ता कभी नहीं रहा है रास्ता अन्य जगह पर है, मात्र तरमीम दुरूस्ती का मामला है जो सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में आदेश/निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य होने

कलक्टर नागौर

का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील अपास्त/निरस्त किये जाने निवेदन किया है।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी मानासर द्वारा ग्राम इन्दास के खसरा नं. 25 रकबा 0.1538 हैक्टेयर किस्म गेर मुमकिन रास्ता की भूमि पर तारबंदी करके अतिक्रमण करने संबंधी रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण दिनांक 03.11.2022 को दर्ज कर अपीलान्ट को तारीख पेशी 07.11.2022 का नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस पर वस्पा की रिपोर्ट के आधार अपीलान्ट की तामील पर्याप्त मानकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित कर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर अपीलान्ट पर शास्ति अधिरोपित कर उसे उक्त रास्ते की भूमि बेदखली का आदेश पारित किया है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पत्रावली संख्या–359/64 प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 26.09.1966 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, उक्त निर्णय/आदेश में राजीनामा अनुसार उल्लेख है कि खसरा नम्बर 28 में जो उतरी सीमा पर रास्ता था वो अब नहीं रहेगा और उसके बजाय खसरा नम्बर 8 में उपर माफिक रास्ता रहेगा। उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा उक्त आदेश/निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि अतः आदेश है कि मुकदमा माफिक लिखावट राजीनामा के खारिज किया जावे व रेकर्ड अमल दरामद बाबत तहसीलदार नागौर को लिखा जावे। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी नागौर के उक्त निर्णय अनुसार खसरा नम्बर 28 की उतरी सीमा पर अब रास्ता नहीं रहा है एवं रास्ता खसरा नम्बर 8 में रखा गया है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 03.11.2022 को प्रकरण दर्ज कर अतिशीघ्रता से 07.11.2022 को निर्णय जैर अपील पारित कर दिया है, जो कतई उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 07.11.2022 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में पत्रावली संख्या–359/64 प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 26.09.1966 को ध्यान में रखते हुए एवं अपीलान्ट को सुनवाई, साक्ष्य एवं सबूत आदि का नियमानुसार पर्याप्त अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटात हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर